न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 09/20118

रामधन मीणा ग्राम यशोदानन्दनपुरा पोस्ट तुर्किया तहसील निवाई जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 19.02.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27.11.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–दुकान संख्या 2686 व 557 का आपके रसद कार्यालय अधिकारी द्वारा कब–कब निरीक्षण किया गया,2016 से अब तक।

2–निरीक्षण के दौरान क्या–क्या अनियमितताएं मिली।

3–क्या आपने(निरीक्षणकर्त्ता ने) पाया की यह राशन प्राप्तकर्त्ता को पावती रसीद देता है।

4–क्या यह डीलर मूल पटिटका या रेट लिस्ट लगाकर रखता है अपनी दुकान पर।

5–क्या यह राशन डीलर शिकायत पंजिका रखता है।

6–यह महीने मे कितने दिन तक अपनी दुकान(उचित मूल वितरक दुकान को) वितरण साम्रगी हेतु खुली रखता है व किस समय से किस समय तक।

7–क्या सरकारी कर्मचारी को भी तेल दे सकता है(मिटटी का तेल)

8–अब तक इस रसद वितरण दुकानदार(उचित मूल वितरण केन्द्र) की कितनी शिकायते हुई है।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 279 दिनांक 08.02.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोक ने पत्र कमांक 1116 दिनांक 15.02.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र कमांक 1079 दिनांक 12.01.2018 से सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दी गई है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक